

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), राजसमन्द

क्रमांक: cylone/housing/25 / 945 - 952

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/RAJ/0007187

दिनांक: 20/09/2023

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की आभशणा सहित प्राप्त निम्न चक्रवात के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 000-1 दिनांक 10.10.2022 अर्थात् 2022-2026 में राज्य आपदा भोचन निधि (0000) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार चक्रवातसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	00/0000/2 023/06467 6	नाम: Ganesha Lalपिता का नाम: Jodhaजिला: राजसमन्द	01, baghana, भीम, पंचायत समिति -भीम, ग्राम पंचायत -बाघना, गांव - बाघाना	19/06/2023	चक्रवात	तहसीलदार भीम की अनुशंसा के आधार पर श्री गणेशराम पुत्र श्री जोधाराम निवासी बाघाना का कच्चा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 0000 नोम्स अनुसार 1,20,000 रुपये दिया जाना है	120000
योग							120000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[02]12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
राजसमन्द

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिष्ठापन - निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन साधन आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, राजसमन्द।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


अधिकारी
(आ.प्र. एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
राजसमन्द